

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी

चतरा


बनाम

अप्रार्थीगण

प्रकरण : 251 क आर.टी.एक्ट राजस्व प्रार्थना पत्र

गंगा वगैराह

मुकदमा नं. 27 / 2022

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
14/10/22	<p>पत्रावली माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा इस आदेश के साथ के साथ प्रति प्रेषित की गई है कि मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए के विहित प्रावधनों के तहत यथा अत्यांतिक एवं वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता आदि को मध्यनजर मौका निरीक्षण नियम 69 राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 की पालना करते हुये तैयार कराते हुये उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे। मिसल दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्षकारान को इतला सम्मन जारी हो। मिसल दिनांक 18/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>32</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) नागौर</p>	
18/11/22	<p>पत्रावली प्रस्तुत। अप्रार्थी को जारी सम्मन लायकर नहीं आये है इवजार होकर दिनांक 14/12/22 को पेश हो दिनांक</p> <p style="text-align: right;"><i>32</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) नागौर</p>	
14/12/22	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिपक्षता</p> <p>पीठिका/पीठिका के भागप अदालत/अदालत के भागप उपस्थित/उपस्थित प्रस्तुत/प्रस्तुत 14/12/22 को</p>	
27/12/22	<p>प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री हनुमानराव मण्डा ने राजिर आकर मिसल आज तारीख पेशी पर ली जाकर जरिये विद्वाल खारिज करने का निवेदन किया। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र को पेशना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विद्वाल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत द्वारा 251 क R.T.A. का खारिज किया जाता है। मिसल नम्बर से कप धारा दाखिल दफ्तर रहे</p> <p style="text-align: right;"><i>32</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) नागौर</p>	<p>27/12/22</p>